छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.यू./मु.प्र./147/2013 **निविदा सूचना** दिनांक 26-07-13

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानो पर कार्य करने के लिए अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल कार्मिको की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक: 16-08-13 को अपराह्न 2.00 बजे तक सम्पत्ति अधिकारी के कक्ष मे रखे टेण्डर बॉक्स में जमा की जा सकती है, जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे सभाकक्ष में खोली जायेंगी।

निविदा प्रपत्र वि.वि. के कैश काउन्टर से अथवा वेबसाइट **www.kanpuruniversity.org** से डाउनलोड कर रु. 200.00 विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर में जमा कर रसीद संलग्न कर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण वि0वि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कुलसचिव

Gram : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

(2570301(O)
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

क्रमांक :

मूल्य रू0 200/-(दो सौ मात्र)

निविदा प्रपत्र

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के परिसर में विभिन्न स्थानों पर कार्य करवाये जाने हेतु विभिन्न श्रेणी के (अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल) कार्मिकों से एजेन्सी के माध्यम से कार्य पर लिए जाने के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदरों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। **विश्वविद्यालय में कार्मिकों की आपूर्ति मुख्य रूप से संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार वांछित है।** उक्त निविदा दिनांकः .... तक केन्द्रीय भण्डार कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में अपरान्ह 02.00 बजे तक डाली जायेगी, जो उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित धनराशि रू0 200.00 जमा कर विश्वविद्यालय कैश काउन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा पत्र की निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 .... नकद या बैंक ड्राफ्ट जो कि **"वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर"** के पक्ष में देय हो, के रूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है जिसके अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार करना संभव नही होगा। अपेक्षित नियम एवं शर्ते निविदा–पत्र के साथ संलग्न है। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते है किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा – प्रपत्र का विवरण

1. आवेदक फर्म का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
4. ट्रेड टैक्स नं0. : वैधता की अवधिः
5. टैन नं0 :
6. कार्य का अनुभव प्रमाण सहित :
7. निविदा पत्र क्रय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :

   बैंक का नाम .... ड्राफ्ट सं0 व तिथि .... धनराशि ....
   बुक सं0 क्रम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)

8. धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :

   1. बुक सं0 क्रम सं0 रू0 दिनांक
   (एक प्रति संलग्न करें)
   2. बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक रू0 संलग्न करें ।

9. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्ते पूर्ण रूप स्वीकार है निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पूर्ण पता

दूरभाष नं0

पैन/टैन नं0

Gram : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

2570301 (O)
2570882 (R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

नियम एवं शर्तें

1. निविदा लिफाफे के ऊपरी भाग पर **"कार्मिकों की आपूर्ति हेतु निविदा"** अंकित करना अनिवार्य है।
2. आपूर्ति किये गये कार्मिकों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों पर ही भुगतान किया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार को इस पर 10 प्रतिशत सेवा प्रभार विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।
3. निविदादाता की फर्म का लेबर, ई0एस0आई0, पी0एफ0 एवं सर्विस टैक्स में पंजीकरण होना आवश्यक है।
4. लेबर आपूर्ति सम्बन्धी निविदा में वे ही निविदादाता हिस्सा ले सकेंगे, जिनके पास सरकार/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में मानव संसाधन आपूर्ति का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो।
5. निविदादाता द्वारा लगाये गये कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिकों का परिचय प्रमाणपत्र एवं पुलिस वैरीफिकेशन होना आवश्यक है।
6. स्किल्ड लेबर को कम से कम ग्रेजुएट अथवा सम्बन्धित कार्य का डिप्लोमा, डिग्री अथवा पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है। आवश्यक योग्यता एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का परीक्षण कार्य पर लगाये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय में कुलपति जी द्वारा नामित समिति के द्वारा किया जायेगा।
7. आपूर्तित लेबरो के कार्य का निरीक्षण समय–समय पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।
8. विश्वविद्यालय को किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए न्यायालय में किसी प्रकार का कोई भी वाद प्रस्तुत नही किया जा सकेगा ।
9. किसी भी वाद/विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
10. निविदा के साथ व्यापार कर पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन संख्या एवं 1,00,000.00 की Earnest money जो कि बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में वित्त अधिकारी छत्रपति शाहू जी महाराज वि0वि0 कानपुर के नाम से देय हो, संलग्न कराना अनिवार्य है ।
11. ठेकेदार एवं वर्करों का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
12. यदि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो एक सप्ताह की नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त करते हुए जमानत के तौर पर जमा सुरक्षा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
13. ठेकेदार द्वारा लगाये गये वर्कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए। यदि कोई भी वर्कर शारीरिक रूप से अवस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसके स्थान पर कोई अन्य वर्कर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा तुरन्त की जायेगी।

27/6/13 27/06/13

14. ठेकेदार आवश्यक [redacted] उपकरणों की व्यवस्था करेगा तथा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

15. यदि ठेकेदार द्वारा लगाये गये किसी भी वर्कर/कर्मचारी के साथ दुर्घटना के कारण चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ऐसे प्रकरण में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16. ठेकेदार ऐसे कर्मचारी को कार्य करने हेतु नहीं रखेगा जिसके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसके विरूद्ध कोई भी पुलिस केस चल रहा हो।

17. विश्वविद्यालय परिसर में शराब या कोई भी मादक पदार्थ पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा।

18. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्रम विभाग/शासन के नियमों का पालन करना होगा। यदि उक्त हेतु कोई भी आपत्ति श्रम विभाग/शासन से उठायी जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

19. नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु ठेकेदार को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के साथ अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

20. किसी भी दशा में उक्त ठेका किसी अन्य पार्टी अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

21. किसी भी वाद/विवाद की स्थिति में कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

22. सूचीबद्ध फर्में एक वर्ष तक आवश्यकतानुसार कार्मिकों की आपूर्ति हेतु बाध्यकारी होगी। एक वर्ष उपरान्त सूची बद्ध फर्मों के अनुबन्ध को दोनों पक्षों की सहमति से आगे विस्तृत किया जा सकता है।

23. निविदादाता द्वारा निविदा में अपनी फर्म का वार्षिक टर्न ओवर, जो कि चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

कुलसचिव

संलग्नक—"1"

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

विश्वविद्यालय में कार्मिकों की आपूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित विवरणानुसार की जानी है।

क्रमांक	श्रेणी	प्रकार
1.	कुशल (Skilled)	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम्प्यूटर टाइपिस्ट डाटा इण्ट्री ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन (मेडिकल / केमिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल्स / पैरामेडिकल / फार्मेसी / लाइब्रेरी साइंस / बायोसांइस) लेखा सहायक विधिक सहायक पैरोकार फ्रन्ट डेस्क मैनेजर नर्स प्लम्बर कारपेन्टर इलेक्ट्रिशियन कम्प्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन हार्टीकल्चर सुपरवाइजर इलेक्ट्रिक मोटर बाइण्डर आदि।
2.	अर्द्ध कुशल (Semi-Skilled)	कार्यालय सहायक प्रयोगशाला सहायक (मेडिकल / केमिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल्स / पैरामेडिकल / फार्मेसी / लाइब्रेरी साइंस / बायोसांइस) लाइब्रेरी असिस्टेंट हाउस कीपर कुकिंग असिस्टेंट जनरेटर ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन सहायक स्टोर कीपर ट्यूबवेल ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर कुक दफ्तरी क्लीनर, आदि।
3.	अकुशल (Un-skilled)	माली बुक लिफ्टर प्रयोगशाला परिचर लेबर अनुचर स्वीपर आया वार्ड ब्वाय वाशरमैन (धोबी), आदि

27/6/13 27/06/13